(10

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

R-3511-I/15

205

प्रकरण क्रमांक । २०१४ निगरानी

१- बासुदेव पुत्र जोधा कोली,

२- देवीवन पुत्र भागीरथ गुंसाइ,

३- देवेन्द्र पुत्र प्रीतम,

४- दर्शन पुत्र विष्णु,

५- अशोक पुत्र वृन्दावन त्यागी,

६- माताशरण पुत्र पंचम त्यागी,

७- द्वारिका पुत्र रामस्वरूप त्यागी,

८- नरेश पुत्र जसमन्त त्यागी,

समस्त निवासीगण ग्राम- बुढेरा, तेहसील जौरा, जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) ।

----- प्रार्थीगण

श्री ... द्वारा आज दि. 15-10-14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 10/14

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बिरुध्द

१- लक्ष्मण त्यागी पुत्र छीतरिया त्यागी, निवासी ग्राम बुढेरा तेहसील जौरा, जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) ।

मृत २- लक्ष्मन पुत्र गोविन्द कुशवाह, निवासी सिध्दपुरा मौजा बुढेरा, तेहसील जौरा, जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) ।

३- मध्यप्रदेश शासन ------ प्रतिप्रार्थीगण

४- मीरा पुत्री प्रीतम निवासिन ग्राम बुढेरा, तेहसील जौरा, जिला-मुरैना (मध्यप्रदेश)

---- प्रतरतीवी प्रतिप्रार्थी ।

निगरानी बिरुध्द आदेश कलेक्टर महोदय, जिला मुरैना दिनांकी १६-०६-१४ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९, प्र०क्र० १४।२०११-२०१२ स्व-निगरानी ।

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 3511–दो/2014 निगरानी जिला मुरेना

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ता
14.2.17	पूर्व पेशी पर पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने जा चुके हैं। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत। अवलोकन किया गया। यह निगरानी कलेक्टर जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 14/2011–12 स्वमेव निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19–9–14 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायलय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार जौरा व्दारा प्रकरण कमांक 174/1994–95 बी–121 में पारित आदेश दिनांक 30–11–1995 से अनावेदक कमांक एक से दस के हित में भूमि का आवन्टन किया गया है, जिसके विरूद्ध दिनांक 21–11–2011 को कलेक्टर मुरैना ने स्वमेव निगरानी दर्ज कर आवंटितयों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की है। कलेक्टर मुरैना के समक्ष सुनवाई के दौरान अनावेदक के अभिभाषक ने आपत्ति दर्ज कराई है कि अनावेदक कमांक 5 सुनीता का 2 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया है किन्तु वारिसों को समय पर रिकार्ड पर न लेने के कारण निगरानी अवैट है इसलिये इसी–स्तर पर निरस्त की जाय, किन्तु कलेक्टर मुरैना ने इस पर विचार न करते हुये	

अनावेदकगण को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

2/ प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि नायव तहसीलदार जौरा व्दारा प्रकरण कमांक 174/ 1994-95 बी-121 में पारित आदेश दिनांक 30-11-1995 के विरूद्ध कलेक्टर मुरैना ने दिनॉक 21-11-2011 को स्वमेव निगरानी पंजीबद्ध की है । आवेदकगण के अभिभाषक ने आपत्ति की है कि स्वमेव निगरानी अत्याधिक विलम्ब से है जो प्रचलन योग्य नहीं है। प्रकरण के परीक्षण पर स्थिति यह है कि -

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा-47 एंव परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा-5 - याची व्दारा पटटा प्राप्त कर भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त किया गया - ऐसे आवंटन आदेश के विरूद्ध स्वमेव निगरानी के लिये एक वर्ष का समय अयुक्तियुक्त है।
2. काशीराम विरूद्ध हरीराम 2008(1) एमपीएलजे 282 = 2008 (1) एमपीएचटी 170 में न्याय दृष्टांत है कि याची व्दारा 2 हेक्टर भूमि आवन्टन में प्राप्त कर भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त किये - 13-14 वर्ष व्यतीत होने पर पुनरीक्षण का अधिकार नहीं है।

विचाराधीन प्रकरण में कलेक्टर मुरैना ने नायव तहसीलदार के भूमि आवंटन आदेश दिनांक 30-11-95 के विरूद्ध 21-11-11 को अर्थात 16 वर्ष के अन्तर से स्वमेव निगरानी पंजीबद्ध की है जिसके कारण कलेक्टर व्दारा की जा रही स्वमेव निगरानी की कार्यवाही दूषित है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर मुरैना व्दारा

अंतरिम आदेश दिनांक 21-11-11 से नायव तहसीलदार जौरा के भूमि आवंटन आदेश दिनांक 30-11-95 के विरूद्ध अंतरिम आदेश दिनांक 21-11-11 से स्वमेव निगरानी पंजीबद्ध करने हेतु लिया गया निर्णय तथा अंतरिम आदेश दिनांक दिनांक 19-9-14 से आवेदकगण को कारण बताओ सूचना जारी करने हेतु लिया गया निर्णय त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य